राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	प्रस्तुतीकरण की दिनांक	अधिवक्ता
1.	4769/2022	महेश चन्द	1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, धौलपुर।	16.09.2022	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
2.	4770/2022	साहब सिंह			
3.	4771/2022	पवन कुमार			
4.	4772/2022	अचल सिंह			

आदेश की दिनांक : 11.11.2022

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपीलों की सुनवाई की गई है।
2. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों में विवाद का बिन्दु समान होने से अपील संख्या 4769/2022 महेश चन्द बनाम राजस्थान राज्य जरिए, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर व अन्य को अग्रग अपील (Leading appeal) मानते हुए न्यायहित में एक ही निर्णय से उक्त सभी अपीलों को एक साथ निस्तारित किया जा रहा है।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 29.06.2012 (अनुलग्नक–1) को प्रबोधक के पद पर हुई तथा अपीलार्थी वर्तमान में प्रबोधक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माकरा P/S साईपाऊ, जिला धौलपुर में कार्यरत है। राजस्थान पंचायतीराज प्रबोधक भर्ती सेवा नियम, 2008 के अन्तर्गत चयनोपरान्त इस कार्यालय द्वारा दो वर्ष के परिवीक्षाकाल संतोषप्रद पूर्ण होने पर प्रत्यर्थी संख्या–3 के आदेश दिनांक 30.07.2014 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 05.07.2014 से

नियमित वेतन श्रृंखला 9300–34800 एवं ग्रेड पे 3600 की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5405/2012 सुमन झंवर व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2014 की पालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.07.2019 (अनुलग्नक–2) द्वारा दिनांक 01.10.2008 से कार्मिकों को वरिष्ठता एवं ए.सी.पी. का लाभ दिया गया है। अपीलार्थी ने अपना प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित बताया है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह कथन है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 36/2022 बीरपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2022 (अनुलग्नक–5) का उधरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित बताया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं माननीय अधिकरण के निर्णयानुसार प्रबोधक भर्ती 2008 के अन्तर्गत कार्मिक को समस्त परिलाभ दिनांक 01.10.2008 से अपीलार्थी को दिये जावे।

6. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

7. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

8. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह

निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

9. आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 4769/2022 महेश चन्द में एवं आदेश की प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य अपीलों की पत्रावली में संलग्न की जावें।

10. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम. एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य